LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, February 05, 2026 / Magha 16, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 05, 2026 / Magha 16, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

... 1

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 2 – 50
(S.Q. NO. 81 – 100)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 921, 923 – 1012, 1014 – 1046,
1048 – 1065, 1067 – 1089, 1091 – 1150)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, February 05, 2026 / Magha 16, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 05, 2026 / Magha 16, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 85

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS – LAID 285

Shri Suresh Gopi

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (Contd. -- Concluded) 286

Amendments - Negatived 286

Motion Adopted 286

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 287 - 299

Shrimati Malvika Devi 287

Shri Jugal Kishore 288

Shri Jagdambika Pal 288

Shri Vishnu Dayal Ram 289

Dr. Nishikant Dubey 289

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 290

Shri Bidyut Baran Mahato 290

Shri P. C. Mohan 291

Shrimati Anita Nagarsingh Chouhan 291

Shri Raju Bista 292

Shri Dushyant Singh	**293**
Shri Janardan Singh Sigriwal	**293**
Kumari Sudha R.	**294**
Shri Deepender Singh Hooda	**295**
Shri Hamdullah Sayeed	**295**
Shri Balwant Baswant Wankhade	**296**
Shri Devesh Shakya	**296**
Shri Kalipada Saren Kherwal	**297**
Shri K.E. Prakash	**297**
Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure	**298**
Shri Ravindra Dataram Waikar	**298**
Dr. Raj Kumar Chabbewal	**299**
…	**300**
OBSERVATION RE: MAINTAINING PARLIAMENTARY DIGNITY AND DECORUM OF THE HOUSE	**301 - 02**

xxxx

(1100/SJN/PBT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल सदन के अंदर जो घटना हुई है, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की वेल तक पहुंचे थे, यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा मानना है कि इस सभागृह की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे, तो किसी भी अध्यक्ष के लिए सदन की कार्यवाही को चलाना उचित नहीं होगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1101 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/DPK/SNT)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर 2 - श्री श्रीपाद येसो नाईक।

… (व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(दो) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.926(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दो नियम (क) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि) नियम, 2016 और (ख) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि) नियम, 2017 निरस्त किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षकों, ऊर्जा लेखापरीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों का प्रमाणन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 08/05/ईए/ईई(एस)/08-बीईई(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 1 दिसम्बर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में)।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग और अनुपालन) विनियम, 2026 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एएल/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5970(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.2902(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.5665(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(तीन) का.आ.6044(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(चार) का.आ.5967(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मर के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(पांच) का.आ.5968(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत चिलर्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(छह) का.आ.5969(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत चिलर्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

1201 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Respected Speaker, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sushri Shobha Karandlaje, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
   (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.
   (ii) Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

———-

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Respected Speaker, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Tokhan Sahu, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O.180(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th January, 2026, making certain amendments in Notification Nos. S.O. 3706(E) dated 14th October, 2019 and S.O. 2819(E) dated 19th August, 2020 under sub-section (2) of Section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2024-2025.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Urban Affairs, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Review by the Government of the working of the Patna Metro

(i) Rail Corporation Limited, Patna, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Patna Metro Rail Corporation Limited, Patna, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) Review by the Government of the working of the Chennai

(i) Metro Rail Corporation Limited, Chennai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Chennai Metro Rail Corporation Limited, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(7) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

———-

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Respected Speaker, Sir, with your permission, I rise to lay a statement (Hindi and English versions) regarding the status of implementation of recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2024-25) on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 23rd Report of the Committee (2023-24) on 'Review of Policy on Import of Crude Oil' pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

———-

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि आप सदन में तख्तियां और बैनर्स लेकर आएंगे, तो सदन में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के सामने मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(1205/PC/RTU)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सभागृह की मर्यादा को बनाए रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे बैनर और तख्तियां न दिखाएं तथा नारेबाजी न करें। आप सब सदन को चलने दें, बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। चर्चा में सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? क्या आप ऐसे ही नारेबाजी करना चाहते हैं? क्या आप सभागृह का अपमान करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1205 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/SPS/RTU)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर पर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Need for construction of barrage or check dam on Udanti river in Sinapali block of Khariar in Kalahandi Parliamentary Constituency

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to urge the Hon'ble Minister of Jal Shakti to kindly consider the construction of a barrage/check dam on the Udanti River in Sinapali Block of Khariar Assembly Constituency in Kalahandi, my Parliamentary Constituency. This is a long-pending and genuine demand of the people of Khariar. The region was once infamously known as one of the poorest and most drought-prone areas of the country. Even today, a large section of the population depends solely on rain-fed agriculture, making their livelihoods extremely vulnerable. The construction of this barrage will ensure water security, provide assured irrigation, and significantly improve agricultural productivity. It will directly benefit the poorest sections of Odisha, enable farmers to earn a sustainable livelihood, and contribute to overall socio-economic development of the region. I earnestly urge the Hon'ble Minister to kindly look into this matter on priority and sanction the barrage/check dam at the earliest in the interest of the people.

(ends)

Re: Compensation to families who migrated from Chhamb sector during Kargil war

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मेरे संसदीय क्षेत्र तहसील खौड़ गांव सामुआ और चपरेआल, छंब सैक्टर के उन 60 परिवारों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनके मकान कारगिल युद्ध के दौरान जून 1999 में तार लगने की वजह से तार के अंदर आ गए थे। पाक फायरिंग की वजह से यह लोग अपने गांव से पलायन कर गए थे। उस क्षेत्र के लगभग 6000 परिवार जो पलायन कर गए थे उनमें से अधिकांश ने अपने घरों में पुनर्वास कर लिया था। 60 परिवार अभी भी अपने घरों में नहीं बस पाए क्योंकि उनका मकान तार लगने की वजह से तारबंदी क्षेत्र के अंदर वाले क्षेत्र में आ गए। उन परिवारों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा उन लोगों को पांच मरल का प्लॉट दिया गया है जो गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है जिसके कारण यह लोग अपनी खेती नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन परिवारों को समय से मुआवजा दिया जाय साथ ही समवा-मीरपुर में जो नहर बाँध आर्मी द्वारा बनाई गई है उसकाक मुआवजा 1972 से मिल रहा था और साल 2012 सितम्बर से मुआवजा बंद पड़ा हुआ है। इन लोगो को दुबारा मुवावजा दिया जाय।

(इति)

Re: Need to ensure permanent or regular exposition of Sacred Piprahwa Relics, at Kapilvastu Museum in Siddharthanagar, Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं इस सदन के माध्यम से भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा अवशेषों के संरक्षण, वापसी एवं सम्मानजनक सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद के पिपरहवा क्षेत्र में वर्ष 1898 में प्राप्त ये अवशेष विश्वभर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय हैं और करुणा, शांति, अहिंसा एवं मानवता के शाश्वत मूल्यों के प्रतीक हैं। मई 2025 में जब अवशेष हांगकांग स्थित 'Sotheby's' में नीलामी हेतु सूचीबद्ध हुए, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा त्वरित हस्तक्षेप कर नीलामी को रोकते हुए इन्हें सम्मानपूर्वक भारत वापस लाया गया, जो भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और सभ्यतागत उत्तरदायित्व का सशक्त संदेश है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना बौद्ध धरोहर संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सिद्धार्थनगर की जनता एवं भगवान बुद्ध के अनुयायियों की ओर से सरकार का धन्यवाद करता हूँ तथा विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन पवित्र अवशेषों को उनके मूल स्थल—कपिलवस्तु संग्रहालय, सिद्धार्थनगर—में स्थायी अथवा नियमित प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शित करने पर विचार किया जाए, जिससे तीर्थयात्रा, पर्यटन, स्थानीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास को नई गति मिले।

(इति)

Re: Need to establish Eklavya Model Residential School in Ramgarh block, Palamu district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखंड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विदित है कि रामगढ़ प्रखंड की कुल जनसंख्या में लगभग 49.9 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति समुदाय की है। यह क्षेत्र मुख्यतः आदिवासी बहुल्य है, परन्तु यहाँ गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण आदिवासी बच्चों, विशेषकर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे विद्यालय छोड़ने की दर भी अधिक बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक अवसंरचना, आवासीय सुविधा, समग्र विकास एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। यदि रामगढ़ प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाती है, तो इससे न केवल आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी, बल्कि यह क्षेत्र के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि रामगढ़ प्रखंड, पलामू (झारखंड) में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्वीकृति एवं स्थापना हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to undertake various Road and Railway connectivity projects in Godda Parliamentary Constituency and adjoining Deoghar-Dumka-Bhagalpur region in Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I write this on behalf of the people of Godda Parliamentary Constituency and the adjoining Deoghar–Dumka–Bhagalpur region. I humbly place the following points for your kind consideration: 1. Bhagalpur–Hansdiha–Dumka-Connectivity (NH-133E Extension); 2. Deoghar–Katoria-National Highway Link NH-333 from Deoghar via Dardmara should be connected to NH-33A via Katoria; 3. Madhupur–Jamtara via Margomunda (Pending Notification); 4. Coal & Power Logistics Corridor (NH-133 Kahalgaon to NH-33); 5. Meherma–Bhagaiya Bypass to Mirzachowki and the Meherma–Bhagaiya bypass must be extended and connected to Mirzachowki; 6. Deoghar–Basukinath Bypass & City Flyover. 7. NH-333 (Dardwa River) – NH-114A. 8. Godda City Bypass (NH-133 to NH-333A via Kajiha River). 9. Vikramshila–Buddhist & Jain Circuit Connectivity. To realise this vision: Parasnath/Giridih to Vikramshila (Bhagalpur) road connectivity is essential and A new Ganga bridge at Barbhana–Kurshela, along with a parallel railway line, is required. This will integrate Buddhist and Jain pilgrimage circuits, nationally and internationally. These interventions will not only complete missing highway links but will also: Strengthen national logistics; Support power sector evacuation; Decongest major pilgrimage towns; and Unlock tourism, heritage, and regional economic potential. I humbly request your kind consideration.

(ends)

Re: Need to provide stoppage of various trains at Bharuch and Ankleshwar Railway Station in Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच का अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र एशिया में सबसे विशाल औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर देश के विभिन्न प्रातों के लोग कार्यरत है। राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने पैतृक राज्यों में जाने के लिए बड़ौदा या सूरत जाना पड़ता है क्योंकि राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए रेल सेवाएं इन्हीं स्टेशनों पर उपलब्ध है। राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को जाने वाली रेलगाड़ियां मेरे ससदीय क्षेत्र भरुच एवं अकलेश्वर से होकर जाती है परंतु इन स्टेशनों पर कुछ ही गाड़िया रुकती है, बाकी नहीं रुकती। जिनके कारण इन लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर राजस्थान से आनेवाली सूर्या नगरी एक्सप्रेस, अजमेर बंगलौर एक्सप्रेस एवं राणेकपुर एक्सप्रेस को एवं उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आने वाली प्रमुख रेल सेवाओं में कुछ को अंकलेश्वर एवं कुछ को भरुच रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए तो यहां के हजारों लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि भरूच एवं अकलेश्वर रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आने वाली निम्न रेल गाड़ियों जैसे-पालेज में ठहराव हेतु गाड़ी से 12995 बांद्रा अजमेर एक्सपेस, भरुच में ठहराव हेतुः ट्रेन स. 20301/20302, वंदे भारत मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस, ट्रेन सं. 12979/12980, जयपुर-बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन सं 19053/19054, सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, ट्रेन स. 12993/12994, गाधीधामश्री एक्प्रसेस-भरूच, ट्रेन स 12995/12996, बांद्रा अजमेर एक्सप्रेस को ठहराव दिया जाए।

(इति)

Re: Construction and expansion of roads along border areas of Jharkhand and West Bengal

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मैं माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का ध्यान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क, औद्योगिक परिवहन तथा यातायात दबाव से उत्पन्न गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 1) एनएच-33 के समीप जमशेदपुर के पारडीह काली मंदिर से पटमदा होते हुए बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) तक एक नए सड़क मार्ग का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, जिससे टाटा स्टील, जमशेदपुर और दुर्गापुर स्टील सिटी के बीच औद्योगिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। 2) साथ ही, वर्तमान में चाईबासा से हाता तक विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग-220 को जादूगोड़ा, मुसाबनी एवं घुड़ाबांदा होते हुए ओडिशा के बंबई चौक तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है, ताकि इसे एनएच-18 से जोड़ा जा सके और झारखंड-ओडिशा परिवहन नेटवर्क मजबूत हो। 3) महोदय, इसके अतिरिक्त, जमशेदपुर में लगभग 7,000–8,000 उद्योगों के कारण अत्यधिक यातायात दबाव है। इस समस्या के समाधान हेतु कंद्रा से पोटका होते हुए गालुदिह के निकट एनएच-33 तक एक रिंग रोड का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरा आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्तावों पर शीघ्र आवश्यक है। (इति)

Re: Need to establish modern waste management clusters in Bengaluru, Karnataka under Swachh Bharat Mission – under 2.0

SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): I rise to draw the attention of this House to the waste management crisis in Bengaluru, one of India's fastest-growing cities. The city generates over 5,500 metric tonnes of solid waste daily, of which a significant portion remains unsegregated, unscientifically dumped, or burnt, leading to severe environmental and public health concerns. Despite efforts by the local authorities, issues such as lack of decentralised waste processing, inadequate segregation at source, and limited waste-to-energy infrastructure persist. I urge the Hon'ble Minister of Housing and Urban Affairs to provide targeted support under the Swachh Bharat Mission–Urban 2.0 for modernising Bengaluru's waste infrastructure; establish model decentralised waste management clusters with composting, MRFs, and bio-methanation; launch a national incentive framework for bulk waste generators; and encourage tech-driven waste tracking and enforcement systems in collaboration with startups. This is not just a civic issue, it is a crisis of urban sustainability. Strengthening waste management systems will reduce landfill dependence, lower methane emissions, create green jobs, and help cities like Bengaluru manage waste scientifically. I seek urgent intervention.

(ends)

Re: Need to accord approval for setting up solar-energy projects in Ratlam Parliamentary Constituency

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र रतलाम (मध्य प्रदेश) अंतर्गत रतलाम–झाबुआ–आलीराजपुर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह क्षेत्र जनजातीय बहुल एवं भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जहाँ आज भी अनेक दूरस्थ ग्रामों में नियमित विद्युत आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है। जबकि यह क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु अत्यंत अनुकूल है। यदि इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा पार्क, रूफटॉप सोलर प्लांट, सोलर पंप तथा सौर स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं की स्थापना की जाए तो स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा लघु उद्योगों को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम–झाबुआ–आलीराजपुर संसदीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए।

(इति)

Re: Need for establishment of a multi-speciality hospital like AIIMS in Siliguri, West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): North Bengal region comprises of 8 districts including Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar, North Dinajpur, South Dinajpur and Malda. The North Bengal is home to nearly 3 crore people. However, the health infrastructure in very poor and the region lacks a good hospital. Government run hospitals are barely functional and lack basic facilities, doctors, and staff. Majority of the people in North Bengal districts are dependent on tea and cinchona garden workers and agriculture. They have a very low income and people cannot afford treatment in private hospitals. In 2012, the Central Government had approved for establishment of AIIMS in North Bengal. But, the hospital was shifted to Kalyani in South Bengal. Therefore, I request for establishing a multi-speciality government hospital like AIIMS in North Bengal. Siliguri city is centrally located and lies in the heart of North Bengal. It is well connected by air, rail and road network. People from across the NB district travel to Siliguri for work, study or business. Establishing an AIIMS in Siliguri will bring huge relief for the people from North Bengal. Even patients from eastern Bihar, parts of Sikkim, lower Assam, and neighbouring countries like Bhutan, and Nepal will benefit.

(ends)

Re: Need for a centralized regulatory and supervisory mechanism for effective implementation of emergency medical care protocols in the country

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I seek to raise before the House the urgent need to prioritise and standardise emergency medical response across the country. Acute medical conditions and trauma can become fatal within minutes, making rapid intervention critical. While the "Golden Hour" has long guided emergency care, many nations now follow the "Platinum Ten Minutes" benchmark, requiring trained medical assistance to reach a victim within ten minutes. Timely diagnosis, airway management, bleeding control, and early resuscitation can prevent irreversible damage and significantly reduce mortality. While India has a mix of paramedic-led and doctor-led ambulance systems, the quality of emergency care varies sharply across States. The 108/102 service under the National Health Mission has demonstrated success, but private ambulance services remain largely unregulated, with disparities in equipment, staffing, and training. Issues like poor ambulance design, untrained drivers, and limited real-time communication systems further delay care. There is hence an urgent need for uniform national standards for Emergency Medical Technicians and a lead agency under the Central Government for regulating and overseeing implementation of emergency care protocols across all states and UTs.

(ends)

Re: Need to set up floating solar plants in waterlogged areas in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अंतर्गत राज्य के सिवान और सारण जिले आते है। इन दोनों जिलों के कई प्रखंडो के हजारों एकड़ जमीन में बारहों मास जल-जमाव रहता है। जल-जमाव रहने के कारण किसान इन जमीनों में खेती नहीं कर पाते और मत्स्यपालक मत्स्यपालन भी नहीं कर पाते। इस परिस्थित में इस जल-जमाव वाले बड़े क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर उर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जा सकता है तथा इससे उत्पादित बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर हमारे संसदीय क्षेत्र सहित आस-पास के क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ दिलाया जा सकता है। अत : मेरा माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के सारण और सिवान जिलों में जल-जमाव वाले हजारों एकड़ जमींन में तैरता सौर उर्जा संयंत्र लगवाया जाये जिससे कि बिजली की कमी को दूर किया जा सके।

(इति)

Re: Need for construction of protective structure to control sea erosion along coastal areas of Mayiladuthurai in Tamil Nadu

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): I rise to draw attention of the House to escalating threat of sea-level rise and erosion in the coastal areas of Pazhayar, Poompuhar, and Tharangambadi within Mayiladuthurai in Tamil Nadu. The recent study conducted by Centre for Climate Change and Disaster Management, Anna University projects a sea-level rise of up to 78 cm along Tamil Nadu's coast by 2100, with Mayiladuthurai being particularly vulnerable due to low-lying topography and river confluences. Poompuhar, an ancient Chola port city, has already seen significant shoreline changes, with parts submerged and ongoing undersea excavations highlighting the urgency. Tharangambadi, a former Danish colony and heritage site, has experienced persistent erosion, threatening its historical structures and local communities. Pazhayar and surrounding hamlets have been isolated by severe sea erosion, impacting fishermen and agriculture. Tamil Nadu's coastline faces three core dangers: sea erosion leading to land loss, saltwater intrusion degrading freshwater sources, and coastal flooding worsened by monsoons and high tides. Districts like Mayiladuthurai are among the most at risk, with potential erosion of thousands of hectares by 2050. To safeguard these areas, I urge the Government to sanction and implement protective structures such as sea walls, groynes etc. in line with established coastal management guidelines.

(ends)

Re: Need to impress upon Russian Government for safe and smooth repatriation of missing Indian students who travelled to Russia for educational purpose

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I wish to draw the attention of the Government to the distressing situation of several Indian youths who are currently trapped in Russia after being deceived or coerced into joining the Russian army. Many of these young Indians had travelled to Russia on student visas, but upon arrival were misled by agents and pushed into the Russia–Ukraine war zone. Reports from families indicate that some of them are missing, while others have been unable to contact their families for several months, causing deep anxiety and mental agony to parents and relatives back home. This matter raises serious concerns regarding the safety of Indian citizens abroad and requires immediate diplomatic intervention. Families of the affected youths have repeatedly approached authorities at both state and central levels, yet no concrete progress is visible on the ground. In some cases, students have been taken hostage or forced into combat situations, and reports of fatalities have also surfaced. I urge the Government to treat this as a high-priority issue, engage with the Russian Government at the highest diplomatic level, ensure the safe and swift repatriation of all affected Indians, trace those reported missing, and establish safeguards to prevent such incidents in future.

(ends)

Re: Need to ensure supply of petroleum products in Lakshadweep

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I wish to draw the attention of this Hon'ble House to the acute shortage of petroleum products in the Union Territory of Lakshadweep, which has gravely disrupted daily life and essential services across the islands. The crisis has arisen due to the non-availability of the oil tanker MT Thilakkam, the primary vessel entrusted with transporting petroleum products to Lakshadweep. The tanker is currently undergoing maintenance and docking at Cochin Shipyard Limited. However, the prolonged nature of this maintenance and the failure to arrange any alternative supply mechanism have resulted in a serious breakdown of regular fuel supply. Lakshadweep, being a remote island territory, is entirely dependent on sea transport for petroleum supplies. The present shortage has severely affected domestic consumption, electricity generation, fishing operations, public transportation, and other critical services, causing immense hardship to the island population. I urge the Ministry of Petroleum and Natural Gas to immediately direct Indian Oil Corporation Limited to arrange alternative vessels or emergency supply routes to bridge this gap. I also request the Ministry concerned to ensure the expeditious completion of maintenance work on MT Thilakkam. Urgent and decisive intervention by the Union Government is imperative in the larger public interest of Lakshadweep.

(ends)

Re: Alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission in Amravati district, Maharashtra

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : (क) क्या यह भी सत्य है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2024 के दौरान प्रस्तावित कुल 666 योजनाओं में से केवल 467 योजनाओं का ही कार्य पूर्ण किया गया है, जिस पर लगभग 188 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो इसके बावजूद जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक "हर घर नल से जल" का लक्ष्य पूर्ण क्यों नहीं हो पाया है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं? (घ) क्या यह भी सत्य है कि आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारणी एवं चिखलदरा तहसीलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक 226 योजनाएं पूर्ण होने के बावजूद 178 गांवों में अब भी जल किल्लत बनी हुई है? (च) क्या सरकार इस संपूर्ण प्रकरण की प्रत्यक्ष भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट अथवा सोशल ऑडिट कराने का प्रस्ताव रखती है, ताकि धन के उपयोग, कार्यों की गुणवत्ता तथा लक्ष्य-प्राप्ति की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके? (ज) यदि हाँ, तो इसकी समय-सीमा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(इति)

Re: Railway related issues of Etah Parliamentary Constituency

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरी लोकसभा एटा (उत्तर प्रदेश) के सहावर गंजडुंज्वारा मार्ग पर एक रेलवे पुल, सोरों में एक रेलवे ओवर ब्रिज तथा सोरो-अमापुर मार्ग पर दो ऊपरी पुलों (ओवरब्रिज) की तत्काल आवश्यकता है। इन मार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग के कारण आए दिन जाम लगता है जिससे आम जनता, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं भी समय पर नहीं पहुँच पाती हैं जिससे जन-जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा एटा-कासगंज रेलवे परियोजना जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाना निर्धारित है उसका कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। समय पर निगरानी और प्रभावी समन्वय के अभाव में कार्य प्रगति नहीं कर पा रहा है। इन सभी परियोजनाओं का समयबद्ध पूर्ण होना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सरकार से मांग है कि वे इन कार्यों में तेजी लाएं और जनता को शीघ्र राहत प्रदान करे तथा साथ ही साथ यहाँ की जनता को दिल्ली से जोड़ने की माँग करता हूँ। यह सभी प्रमुख कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किए जाये।

(इति)

Re: Situation arising out of unemployment in the country

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): According to the Periodic Labour Force Survey, the youth unemployment rate is soaring at 10% from the last two years. This implies that one out of 10 youth are unemployed. As per ILO, one in three youth is not in education, employment, or training with women making 95% of this group. As India is on the verge of overtaking China as the world's most populous country, it is worrisome that we are failing to reap on our demographic dividend. Over 35,000 MSMEs had shut down between 2020 and 2024. As formal employment opportunities are shrinking, the youth are increasingly falling back on casual low-wage labour. The growing unemployment crisis nationwide is a cause of serious concern. The much-advertised PM Internship has also failed. Out of nearly 4 lakh applicants, only 16,000 joined the scheme. This translates to only 4%. The situation was even worse for people from scheduled caste and scheduled tribes. Only 1.4% of the applicants from these communities have had the opportunity to avail the internship. Thus, I urge the government to take the matter of unemployment seriously and act on it.

(ends)

Re: Need to review the renaming and other amendments in MGNREGA

SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): I rise to express concern over the renaming and replacement of MGNREGA, and the weakening of the rural job guarantee. MGNREGA was not merely a scheme but a law that guaranteed employment to rural households. The name of Mahatma Gandhi symbolised dignity of labour and social justice. I speak not only as a MP, but also as someone from a rural farming community, and representing Erode, a rural agrarian constituency. In areas like mine, MGNREGA has been a vital source of livelihood for small farmers, landless labourers, and women. The new framework removes the legal guarantee of work and converts a right into a budget-dependent scheme. Earlier, the Union Government paid 100 percent of unskilled wages. The new 60:40 funding pattern shifts 40 percent of the cost to States, making employment dependent on State finances rather than need. Union funding is also capped through state-wise allocations fixed annually and raising concerns of unequal treatment of Opposition ruled States. The introduction of a compulsory 60-day blackout period during peak agricultural season, biometric authentication, and digital attendance systems risks exclusion and wage denial. I urge the Government to reconsider these changes and protect the legal right to work and rural livelihood security.

(ends)

Re: Need to allocate funds for providing various facilities during upcoming Mahakumbh, 2027 in Shirdi Parliamentary Constituency

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : महाकुंभ मेला 2027 महाराष्ट्र के नासिक शहर मे त्रिम्बकेश्वर ज्योर्तिलिंग के पास गोदावरी नदी तट पर आयोजित होना है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होगे। इस दौरान कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु कोपरगांव के शुकाचार्य मंदिर, अगस्त्य आश्रम, पुरातन काल के अति प्राचीन मंदिर और गोदावरी नदी के कुछ ही दूरी पर भगवान श्रीराम का मंदिर के साथ ही शिरडी, जो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख धार्मिक स्थल, शनि शिंगणापुर और यहां के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक अति प्राचीन धार्मिक स्थलों में भी दर्शनार्थ जाएंगे। नासिक कुंभ मेल के दौरान शिर्डी संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त धार्मिक स्थलों में आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु अब तक कोई भी तैयारी नहीं की गई है और न ही कोपरगांव स्थित गोदावरी नदी के तट पर घाटों का निर्माण करवाया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विषय का संज्ञान ले। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार नासिक कुभमेला के लिए श्रद्धालुओं की सुविधार्थ राशि का आवंटन किया गया है. उसी प्रकार शिरडी संसदीय क्षेत्र में कुंभमेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु धनराशि का आवंटन अविलम्ब किया जाए!

(इति)

Re: Need to provide eco-restoration in four rivers of Mumbai, Maharashtra under Namami Gange like scheme

श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुंबई में मीठी, दहीसर, पोइसर और ओशिवारा जैसी चार प्रमुख नदियां हैं,जो कभी शहर की जीवनरेखा थीं और प्राकृतिक जल निकासी का मुख्य स्रोत थीं।लेकिन आज यह अत्यंत चिंता का विषय है कि अनियंत्रित शहरीकरण के कारण ये नदियां अब केवल बड़े जहरीले खुले नालों में तब्दील हो गई हैं,जिससे आसपास रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है और प्रदूषित पानी सीधे अरब सागर में मिलकर समुद्र को नष्ट कर रहा है,जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्सोवा बीच की दुर्दशा है जो प्रदूषण के कारण बर्बाद हो रहा है।BMC प्रतिवर्ष इन नदियों की सफाई और मॉनसून पूर्व गाद निकालने पर 400 से 600 करोड़ रुपये खर्च करती है,फिर भी STP की कमी के कारण गंदा पानी सीधे नदियों में जा रहा है।मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर मुंबई की नदियों के लिए तत्काल एक विशेष पुनर्जीवन पैकेजकी घोषणा की जाए,सीवेज को रोकने के लिए आधुनिक STP परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और जलीय जैव-विविधता को बचाने के लिए Eco-Restoration को प्राथमिकता दी जाए।यदि लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर इन नदियों का सौंदर्यीकरण और वैज्ञानिक पुनर्जीवन किया जाए, तो यह हाल ही में बने कोस्टल रोड की तरह मुंबई के पर्यटन को नई ऊंचाइयां देगा।

(इति)

Re: Need to provide special package of Rs. 2500 crore to Punjab for promoting crop diversification

DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL (HOSHIARPUR): Crop diversification is a critical solution to Punjab's agricultural crisis that can reverse severe groundwater depletion and soil degradation and help enhance ecological sustainability and improve food security. There is an urgent need to shift to less water-intensive crops like maize, pulses and oilseeds in the State. Plethora of measures that need to be taken include the expansion of MSP to more diverse crops like pulses, oilseeds etc. which should be announced well in advance and for longer durations. The Government can also consider subsidizing seeds, micro-nutrients and crop protection specifically for alternate crops. Government need to promote crops with low water requirements by giving on-farm incentives owing to severe groundwater depletion in Punjab. Recognising these challenges, State Government of Punjab has been making concerted efforts to promote crop diversification towards less water-intensive and higher-value crops such as maize, pulses, oilseeds, cotton, horticulture and agro-forestry. While diversification is vital for sustainability and farmer welfare, it carries transition costs and income risks beyond the State's capacity alone. Accordingly, there is a strong need for the Central Government to suitably compensate and support the State Government of Punjab by providing a special package of ₹2,500 crore exclusively for promoting crop diversification.

(ends)

—-

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी बैठें।

… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : मैडम, कृपया आप बोलने का मौका दें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठें तो सही। आप सभी लोग बैठिए। आप सबको अवसर मिलेगा। आप बैठिए तो सही।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, पहले आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले आप सब लोग बैठिए। आप लोगों का यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

1401 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्रीमती संजना जाटव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यगण से निवेदन कर रही हूं कि पहले आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका यह व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : पूरा देश देख रहा है, जो आप लगातार सोमवार से लोक सभा की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अपने-अपने विषयों को उठाने के लिए कितनी तैयारी के साथ आते हैं। आप सभी लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, सभी लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1402 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/RHL/AK)

1500 बजे

लोक सभा पंद्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सदन की गरिमा और परंपरा को बनाए रखने के बारे में माननीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोक सभा चैंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सृजन किया, जो लोक सभा की शुरूआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुए। हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे देश के संविधान में ही सृजित किया गया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं था, बल्कि मैं कहूंगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सुचारू रूप से सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके बाद जब सदन के नेता को महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आयी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह दृश्य मैंने सदन में भी देखा। अगर यह घटना हो जाती, तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन का सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। सदन के नेता सदन में न बोलें, यह सभा के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मेरे आग्रह को मानकर सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे, तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको सदन की परंपरा, गरिमा, सभागृह की गरिमा और परंपरा को रखना चाहिए। कल की घटना देश ने देखी है कि किस तरीके से महिला सदस्या वहां तक पहुंची हैं। यह उचित नहीं था और यह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं? आप अपनी तरफ रहें। आप भाषण में शब्दों से आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं। शब्दों से कोई बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन पर आकर जिस तरह की घटना कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

1504 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद और कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 06 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1504 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 / 17 माघ 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।